2020/124

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज Case No - 64/2026 [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.2026	सेशन न्यायालय, पाली द्वारा अपील संख्या 50/2026 अनवान रामा रोडवेज बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.05.2026 की पालना में प्रकरण पुनः नये नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी श्री गौरव चौहान ने प्रार्थना–पत्र मय सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा पेश कर जब्तसुदा वाहन Ashok Leyland Ltd. Tanker No. HR 38 W 3311 को प्रार्थी को सुपूर्द किये जाने का निवेदन किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने सेशन न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2026 की पालना में प्रार्थी संदीप सत्यानन्द मिश्रा पुत्र सत्यानन्द मिश्रा निवासी 489 अमरावत रोड़, जयलक्ष्मी स्टोर के पास, वाडी, नागपुर (महाराष्ट्र) बहैसियत आम मुख्तियार श्री रामा रोड़वेज प्रोपराईटर रमेश कुमार बतरा पुत्र भगवानदास बतरा निवासी मकान नम्बर 577 सेक्टर 15 फरीदाबाद (उत्तर प्रदेश) ने सुपुर्दगीनामा एवं सवाराम बावरी पुत्र सुराराम निवासी रावले के पीछे ग्राम धामली तहसील मारवाड़ जंक्शन ने 30,00,000/– रूपये अक्षरे तीस लाख रूपये की जमानतनामा मय शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी वाहन का बेचान नहीं करेगा, हस्तान्तरण नहीं करेगा, रंग रोगन का बदलाव नहीं करेगा तथा न्यायालय जब भी तलब करेगा तब हाजिर रखेगा। आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा उक्त आशय की शर्तो सहित पेश हुआ जो संतोषप्रद होने से तस्दीक किया गया। अतः थानाधिकारी पुलिस थाना गुडा एन्दला, जिला पाली को तहरीर जारी कर लिखा जावे कि वाहन की किसी अन्य प्रकरण मे आवश्यकता न हो तो उक्त वाहन के विभिन्न कोणों से फोटो खिंचवाकर बएवज रसीद प्रार्थी श्री रामा रोडवेज प्रोपराइटर रमेश कुमार जरिये आम मुख्तियार संदीप सत्यानन्द मिश्रा को सुपुदर्गीनामा पर जब्त सुदा वाहन Ashok Leyland Ltd. Tanker No. HR 38 W 3311 सुपुर्द किया जावें एवं फोटो, सुपुर्दगी रसीद न्यायालय मे पेश की जावें। बाद पालना पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर, पाली	(संदीप सत्यानन्द मिश्रा) R.T.I. (सवाराम) पहिचानकर्ता गौरव चौहान एडवोकेट 748 27.5.26